



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28102021-230789
CG-MH-E-28102021-230789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4129]
No. 4129]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
शुद्धिपत्र

मुंबई, 27 सितम्बर, 2021

का.आ. 4487(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, “कल्याण - कसारा तीसरी लाइन” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। तथापि, सक्षम प्राधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है क्योंकि सक्षम प्राधिकारियों के पदनाम पहले ई-गजट अधिसूचना संख्या 3658 दिनांक 28/09/2021 में वास्तविक पदनाम से मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए इस गजट अधिसूचना में शुद्धि की आवश्यकता है। सक्षम अधिकारियों के सही पदनाम के साथ शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित है:

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	उपविभागीय अधिकारी कल्याण	कल्याण	ठाणे
2	उपविभागीय अधिकारी उल्हासनगर	उल्हासनगर	ठाणे
3	उप जिल्हाधिकारी ठाणे (भूसंपादन) मेट्रो सेन्टर क्र ३	भिवंडी और शहापूर	ठाणे

[फा. सं. जी 197/2021/जीओम/कल्याण-कसारा/शुद्धिपत्र/1]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 27th September, 2021

S.O. 4487(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Kalyan - Kasara 3rd line**” in the State of Maharashtra relating to Tahsil Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management. However, the designation of competent authorities is required to be changed as the designations of competent authorities are not matching with the actual designation in earlier E-Gazette notification no. 3658 dated 28/09/2021. Therefore corrigendum in this Gazette notification is required. **Corrigendum is required to be published with the correct designation of competent authorities and same is as under:**

TABLE

S. No.	Competent Authority	Tahsil	District
1	Sub – Divisional officer Kalyan	Kalyan	Thane
2	Sub – Divisional officer Ulhasnagar	Ulhasnagar	Thane
3	Deputy Collector (Land Acquisition) Metro Centre No.3 Thane	Bhiwandi & Shahapur	Thane

[F. No. G 197/2021/GOM/KYN KSR/Corrigendum/1]

MANOJ SHARMA, Chief Admn. Officer (Construction)